"राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMS)"

संशोधित दिशा-निर्देश

1.0 योजना

1.1 इस योजना के अंतर्गत मेधावी/प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है, जिनके अभिभावक की वर्तमान वार्षिक आय ₹3,50,000/- से अधिक न हो। राज्य के कक्षा 7 एवं कक्षा 8 के आयु समूह के अनुसार छात्रवृत्तियों का निर्धारण राज्य के आरक्षण कोटे के मापदंडों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

1.2 यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष उन नियमित विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जो किसी सरकारी, सरकारी-अनुदानित अथवा स्थानीय निकाय विद्यालय में अध्ययनरत हों तथा कक्षा IX में प्रवेश ले रहे हों। इस प्रकार छात्रवृत्ति अधिकतम चार वर्षों की अवधि के लिए होगी। केन्द्रीय विद्यालयों एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों (जहाँ आवास, भोजन एवं शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध हैं) तथा निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

1.3 छात्रवृत्ति की राशि ₹12,000/- प्रति वर्ष (₹1,000/- प्रति माह) होगी।

1.4 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के चयन हेतु पृथक परीक्षा राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी।

1.5 NMMSS (SAT एवं MAT) परीक्षा के आयोजन हेतु प्रति परीक्षार्थी ₹100/- की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.0 **छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के चयन की प्रक्रिया**

2.1 प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कक्षा VIII स्तर पर अपनी चयन परीक्षा आयोजित करेगा। राज्य-स्तरीय परीक्षा में निम्नलिखित दो परीक्षण सम्मिलित होंगे: - (i) मानसिक क्षमता परीक्षण (MAT) - (ii) शैक्षणिक अभिरुचि परीक्षण (SAT)

2.2 चयन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विद्यार्थी को कक्षा VII की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना आवश्यक है (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु 5% की शिथिलता)। विद्यार्थी सरकारी/सरकारी-अनुदानित/स्थानीय निकाय विद्यालय में नियमित छात्र होना चाहिए।

2.3 मानसिक क्षमता परीक्षण में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके माध्यम से मौखिक एवं अमौखिक मेटा-संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे तर्क-शक्ति एवं समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किया जाएगा। प्रश्न उपमा, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रेणी, पैटर्न पहचान, छिपी आकृति आदि पर आधारित हो सकते हैं।

2.4 शैक्षणिक अभिरुचि परीक्षण में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कक्षा VII एवं VIII में पढ़ाए जाने वाले विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषयों पर आधारित होंगे।

2.5 परीक्षा की अवधि:- प्रत्येक परीक्षण की अवधि 90 मिनट होगी। दिव्यांग विद्यार्थियों को नियमानुसार अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

3.0 परिणामों की घोषणा

3.1 चयन हेतु निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:- विद्यार्थी को MAT एवं SAT दोनों परीक्षाओं में संयुक्त रूप से न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए यह कट-ऑफ 32% होगा।

3.2 छात्रवृत्ति प्रदान करते समय विद्यार्थी को कक्षा VIII की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु 5% की शिथिलता उपलब्ध होगी।

3.3 चयनित विद्यार्थी को योजना में उल्लिखित सभी पात्रता एवं शर्तों को पूर्ण करना होगा।

4.0 छात्रवृत्ति का वितरण

4.1 कोई भी विद्यार्थी केंद्र सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एक से अधिक छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले सकता।

4.2 चयनित विद्यार्थियों को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में, जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो, बैंक खाता खोलना होगा।

4.3 पात्र विद्यार्थी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर आवेदन करेंगे। आवेदन का सत्यापन राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा किया जाएगा तथा अंततः मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा। NSP पर सभी स्तरों पर सत्यापित अंतिम सूची के आधार पर धनराशि स्वीकृत की जाएगी। निर्धारित समय-सीमा में NSP पर नवीनीकरण न करने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जाएगी। धनराशि वार्षिक बजटीय प्रावधान से SBI (योजना के क्रियान्वयन बैंक) को जारी की जाएगी तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे अंतरण की जाएगी।

4.4 छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु विद्यार्थी को कक्षा X में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 5% की शिथिलता)। कक्षा X एवं XII में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए कक्षा IX से X तथा कक्षा XI से XII में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

---

5. सामान्य पात्रता शर्तें

5.1 छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता तभी पात्र होगा जब वह: (i) स्वीकृत पाठ्यक्रमों में अध्ययन करे; (ii) संस्थान/विद्यालय के प्रधान द्वारा प्रमाणित अच्छे आचरण को बनाए रखे तथा सरकारी/सरकारी-अनुदानित/स्थानीय निकाय विद्यालय में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन जारी रखे; (iii) बिना उचित अवकाश के अनुपस्थित न रहे; (iv) पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करे।

5.2 विदेश में अध्ययन हेतु किसी भी पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध नहीं होगी।

5.3 जिस शैक्षणिक सत्र के लिए दावा किया गया है, उसकी समाप्ति के 12 माह बाद छात्रवृत्ति बकाया का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5.4 यदि कोई छात्र पंजीकरण/प्रवेश के एक माह के भीतर अध्ययन छोड़ देता है, तो उसे कोई छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

5.5 यदि कोई छात्र गंभीर बीमारी के कारण वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो उसे बीमारी की तिथि से तीन माह के भीतर संस्थान प्रमुख के माध्यम से चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बीमारी की अवधि किसी पंजीकृत विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा स्पष्ट

रूप से प्रमाणित होनी चाहिए। संस्थान प्रमुख द्वारा वार्षिक प्रदर्शन अत्यंत अच्छा प्रमाणित किए जाने पर छात्र को उसी पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।

5.6 विद्यार्थी को पूर्व कक्षा/पाठ्यक्रम के परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर अगली कक्षा/वांछित पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना होगा।

5.7 किसी भी कारण से यदि अध्ययन में एक शैक्षणिक सत्र का अंतराल आता है, तो छात्रवृत्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

5.8 एक बार वितरण नियमों के आधार पर निरस्त की गई छात्रवृत्ति किसी भी परिस्थिति में पुनः बहाल नहीं की जाएगी।

5.9 सभी नियम समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय हैं तथा सभी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगे।

---

6. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति के प्रारंभ एवं निरंतरता की पात्रता

6.1 छात्रवृत्ति के प्रारंभ हेतु विद्यार्थी का कक्षा VIII से कक्षा IX में स्पष्ट रूप से पदोन्नत होना आवश्यक है।

6.2 कक्षा IX से XII (या समकक्ष) तक भारत में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति अधिकतम चार वर्षों की अवधि के लिए देय होगी।

6.3 इस स्तर पर डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

6.4 कक्षा X एवं XII में छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु कक्षा IX से X तथा कक्षा XI से XII में प्रथम प्रयास में स्पष्ट पदोन्नति आवश्यक है।

6.5 उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु कक्षा X की परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 5% शिथिलता) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

6.6 यदि किसी संस्थान/विद्यालय में कक्षा IX एवं/अथवा कक्षा XI के अंत में परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, तो संस्थान/विद्यालय प्रमुख के प्रमाण-पत्र के आधार पर दूसरे वर्ष की छात्रवृत्ति जारी रखी जाएगी।

7.0 योजना का संचालन

यह योजना मार्च 2021 के पश्चात पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी तथा कक्षा VIII के विद्यार्थियों हेतु चयन परीक्षा प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा पृथक रूप से आयोजित की जाएगी।

8.0 तकनीकी सहायता समूह

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु परामर्शदाताओं/सहायक स्टाफ आदि से युक्त तकनीकी सहायता समूह (TSG) जारी रहेगा।

9.0 निगरानी

विभाग द्वारा संबंधित हितधारकों के साथ नियमित अंतराल पर योजना की निगरानी की जाएगी।

10.0 सुपर-चेक/भौतिक सत्यापन

डेटा विश्लेषण द्वारा यादृच्छिक रूप से चयनित न्यूनतम प्रतिशत आवेदनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए सुपर-चेक प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।

11.0 सतर्कता

मंत्रालय/विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी की जाएगी तथा अनियमितताओं की समय पर पहचान एवं रोकथाम हेतु पर्याप्त सतर्कता बरती जाएगी।

12.0 राज्य-स्तरीय सत्यापन

राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार यादृच्छिक भौतिक सत्यापन/निरीक्षण कराया जा सकता है।

13.0 तृतीय-पक्ष ऑडिट

मंत्रालय/विभाग एवं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश छात्रवृत्तियों का सुपर-चेक/तृतीय-पक्ष ऑडिट कराएँगे।

14.0 संस्थान नोडल अधिकारी

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संस्थान/विद्यालय नोडल अधिकारी (INO) स्थायी/नियमित कर्मचारी हो तथा INO की गतिविधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य पर होगी।

15.0 प्रशिक्षण

मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य नोडल अधिकारी (SNO) को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा SNO मोबाइल के माध्यम से NSP पर आवेदन प्रस्तुत करने में विद्यार्थियों की सहायता के लिए उत्तरदायी होगा।

16.0 फर्जी आवेदन

यदि किसी छात्र का आवेदन जिला नोडल अधिकारी (DNO)/राज्य नोडल अधिकारी (SNO) द्वारा फर्जी चिह्नित किया जाता है, तो पुनः-सत्यापन पूर्ण होने तक संबंधित संस्थान/विद्यालय के विरुद्ध आवेदन रोके जा सकते हैं।

17.0 धोखाधड़ी

धोखाधड़ी की स्थिति में नियमित अनुवर्ती कार्यवाही, जांच एवं दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

18.0 वार्षिक मूल्यांकन अध्ययन

योजना के प्रदर्शन में विद्यमान अंतराल एवं चुनौतियों की पहचान हेतु वार्षिक मूल्यांकन अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन की संस्तुतियों को लागू किया जाएगा तथा जमीनी स्तर की बाधाओं का समय पर समाधान कर योजना के प्रदर्शन में सुधार किया जाएगा। इससे कम-प्रदर्शन वाले राज्यों की निगरानी में भी सहायता मिलेगी।

परिशिष्ट

कक्षा VII एवं VIII में नामांकन पर 2/3 (66.67%) भारांक तथा संबंधित आयु-समूह की बाल जनसंख्या पर 1/3 (33.33%) भारांक के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्तियों की संख्या दर्शाने वाली तालिका

(मूल दस्तावेज़ के अनुसार तालिका यथावत लागू रहेगी।)